



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1974 / Type Approval No.: 1974

मद / FOR ITEM: पायलॉन इंटरफेस बॉक्स (पीआईबी)- आउटबोर्ड (नेवल),

पार्ट सं.: 110002180409/

Pylon Interface Box (PIB) - Outboard (NAVAL)

Part No. 110002180409

यह प्रमाणित किया जाता है कि एयरोनॉटिकल डेवेलॉपमेंट एजेंसी, बेंगलूरु - 560 075 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ई डब्ल्यू एंड ए, जलाहल्ली (पोस्ट), बेंगलूरु - 560 013 द्वारा उत्पादित, " पायलॉन इंटरफेस बॉक्स (पीआईबी)- आउटबोर्ड (नेवल)", पार्ट सं. 110002180409, को मास्टर आरेखन इंडेक्स सं.: 110002180409, इश्यू-04, दिनांक: 24 अक्टूबर 2018 तथा एस ओ पी संदर्भ सं.: 110002180409, इश्यू-04, दिनांक: 19 फरवरी 2018 के अनुसार एल सी ए (तेजस) में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। इस यूनिट को आर सी एम ए (हैदराबाद) के रूपरेखाओं के अनुसार, तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं.: एडीए/एलसीए/एवी/एसएमएस /सी/07, वर्जन: 01, दिनांक 02 नवम्बर 1999 और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसिजर पीआईबी-ओबी(एएफ) दस्तावेज़ सं.: 116001126009, इश्यू-03, दिनांक: 07 सितम्बर 2007 तथा लिमिटेड क्वालिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पीआईबी-ओबी(नेवल) दस्तावेज़ सं.: 110002180409, दिनांक: 24 मार्च 2009 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Pylon Interface Box (PIB) - Outboard (NAVAL)", bearing the Part No.: 110002180409, designed and developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru - 560 075, manufactured by M/s Bharat Electronics Limited, EW&A, Jalahalli (Post), Bengaluru - 560 013, is hereby approved as per Master Drawing Index No.: 110002180409, Issue: 04, dated : 24th October 2018 and SOP Reference No.: 110002180409, Issue: 01, dated : 19th February 2018 for use in LCA (Tejas). This unit was tested as per Technical Specification Document No.: ADA/LCA/AV/SMS/C/07, Version: 01, dated: 02nd November 1999 and Qualification Test Procedure PIB-OB (AF) Document No.: 116001126009, Issue: 03, dated: 07th September 2007 and Limited Qualification Test Report PIB-OB (NAVAL) Document No.: 110002180409, dated: 24th March 2009 as outlined by RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement is enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद) – 500 042, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad) - 500 042, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production as per by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.


संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए./TA – 1974

दिनांक / Date : 26 December 2018

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856





(गंतायत गौड़ा /G. Gouda)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
स्थानामन्न् मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)
Offg. Chief Executive (Airworthiness)